न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 84 / 2013 **दायर दिनांकः 28.06.2013**

उनवान

1. रूकमणी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री रामकरण पत्नी केदार लाल मालव जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसौती हाल निवासी टंकी पाडा अन्ता, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)

वादिया

बनाम

1. रामकरण आयु 70 वर्ष पुत्र अमरा जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू।
2. गिरजा बाई आयु 24 वर्ष पुत्री रमेश चन्द पत्नी रघुवीर मालव जाति धाकड़ हाल निवासी रातडिया पो0 बालाखेडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0।
3. कुलदीप आयु 30 वर्ष पुत्र रमेश चन्द मालव
4. ज्योति आयु 19 वर्ष पुत्री रमेशचन्द मालव जाति धाकड निवासीगण मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. कांती बाई आयु 47 वर्ष बेवा रमेशचन्द मालव जाति धाकड निवासीगण मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. धनराज आयु 42 वर्ष पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासीगण मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. पंकज आयु 18 वर्ष पुत्र धनराज जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसोती
8. दीपक आयु 14 वर्ष पुत्र धनराज जर्ये वली पिता धनराज जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तहसील अटरू
10. तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री नीरज माहेश्वारी।

निर्णय दिनांक / /

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 92ए, 183, 188, 207 आर0 टी0 एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मूण्ड़ला बिसौति तहसील अटरू में वादिया के पिता प्रतिवादी कम 1 के खाता संख्या 151 का ख0न0 61/834 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 55 का रकबा 1.68 है0, ख0न0 701 का रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.04 है0 तथा ग्राम रामनिवास की खाता संख्या 111 का ख0न0 27 का रकबा 3.11 है0, ख0नं0 37 का रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 का रकबा 3.40 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही जो पैतृक सम्पति होने से आराजीयात में वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 लगा 8 का जन्म से ही अधिकार एवं हक प्राप्त था जिसे प्राप्त करने की वादिया अधिकारी है एवं नोलिशी है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथि में संलग्न है, पुरानी जमाबन्दी साथ में संलग्न है। वादिया के पिता प्रतिवादी कम 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

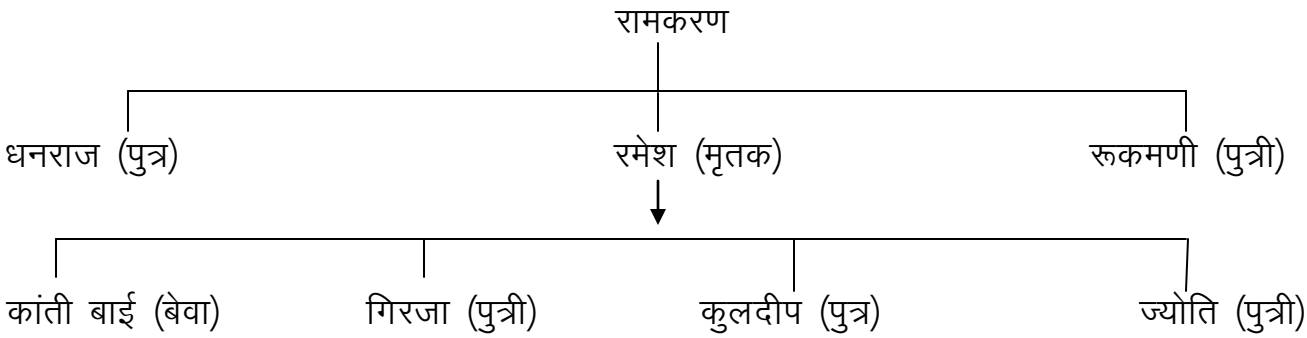

रामकरण पुत्र अमरा के दो पुत्र रमेश व धनराज तथा एक पुत्री वादिया रूकमणी है जिसमें से रमेश की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके वारिसान प्रतिवादी कम 2 ता 5 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादिया का हिस्सा 1/4 बनता है। जिसे वादिया खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है। वारिस प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। वादिया की शादी होकर ससुराल चली गई तथा वादिया के पिता रामकरण का मानसिक संतुलन वृद्धावस्था के कारण खराब हो जाने से प्रतिवादी कम 6 (धनराज) ने वादिया के पिता को बरगालाकर तथा धकमाकर दान पत्र बिना कोई धन चुकाये उप पंजीयक अधिकारी अटरू के समक्ष दिनांक 12.06.2013 को रजिस्टर्ड करवा दिया। उक्त दान पत्र कोई धन लिये बिना प्रतिवादी कम 1 ने अपने पोत्रों के पक्ष में वादिया की अनुपस्थिति में करा दिया है जिसका इंतकाल अभी नही खुला

है। उक्त दानपत्र बिना धन चुकाये किये जाने से प्रभाव शून्य है। तथा इससे वादिया अपने हिस्से की आराजी से वंचित हो जावेगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है। दानपत्र की प्रति साथ में संलग्न है। दान पत्र दिनांक 12.06.2013 वादिया के हकों के विपरित होने से तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने पोत्रों कुलदीप पुत्र रमेश व पंकज, दीपक पुत्रान धनराज के पक्ष में किया गया दानपत्र खारिज करवा रि मद नं0 1 में वर्णित आराजी में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराकर हिस्सा पृथक दर्ज करवाकर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। इसकी घोषणा वादिया माननीय न्यायालय से करवा पाने की अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये और दान पत्र के आधार पर आराजी खाते दर्ज करवा ली तो वादिया को अपने हिस्सा 1/4 एवं स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे वादिया जो महिला है को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। इस वजह से वादिया वाद पेश कर निवेदन करती हे कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे दान पत्र दिनांक 12.06.2013 प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादिया को मद नं0 1 में वर्णित आराजी में हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर पृथक से आराजी खाते दर्ज की जाकर कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादियां को उसके हिस्से की आराजी पर शांतीपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजी को प्रतिवादी क्रम ; के यहां रहन रख कर ऋण ले रखा है इसलिए उन्हे जर्ये शाखा प्रबंधक पक्षकार बनाया गया है। तथा राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद खातेदारी घोषणा एवं बेदखली का होने से जर्ये तहसीलदार साहब प्रतिवादी क्रम 10 आवश्यक पक्षकार बनाकर यह वाद पेश किया गया है। वादिया द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को विधिक नोटिस 80 सी.पी.सी. मियादि 2 माह प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा दानपत्र का इंतकाल खुलवाकर आराजी पर कब्जा कर लेने की धमकी दिनांक 20.06.2013 को देने की वजह से यह वाद आवश्यक प्रकृति का बन चुका है यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और प्रतिवादीगण द्वारा दानपत्र का इंतकाल खुलवा कर वादिया के हिस्से की आराजी पर कब्जा कर लिया तो वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त होने से पूर्व ही

प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी. के साथ माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी. स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमित सुनवाई की जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 12.06.2013 को दानपत्र कर देने पर तथा अंतिम बार दिनांक 20.06.2013 को वादियां के हिस्से की आराजी को हंकवा देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र बमुकाम अटरू में उत्पन्न हुआ है। विवादग्रस्त आराजीयात तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादियां विनयी है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावे कि–

(अ) ग्राम मूण्डला बिसौती के खाता संख्या 151 का किता 3 का रकबा 2.04 है0 एवं ग्राम राम निवास के खाता संख्या 111 का कुल 2 किता का रकबा 3.40 है0 में वादिया को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) दौराने वाद प्रतिवादीगण दान पत्र दिनांक 12.06.2013 का इंतकाल खुलवा ले तो खारिज फरमाया जावे।

(स) दान पत्र दिनांक 12.06.2013 को प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का हिस्सा 1/4 पृथक से खाते दर्ज किया जावे।

(द) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिया को उसके हिस्से एवं स्वामित्व की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसके किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

(य) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की चरण नं 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना स्वीकार है।

लेकिन अन्य तथ्य मिथ्या व मनगढन्त अंकित किए जाने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण नंबर 2 जिस प्रकार सजरा वर्णित किया है, अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण नम्बर 3 जिस प्रकार अंकित की है, अस्वीकार है। वादिया का विवादग्रस्त आराजी में किसी तरह का हक व अधिकार निहित नहीं है। स्वयं प्रतिवादी रामकरण जीवित है और उस आराजी पर एकमात्र अधिकार रामकरण का ही निहित था। वाद पत्र की चरण नम्बर 4 मिथ्या व मनगढन्त अंकित किए जाने से अस्वीकार है। प्रतिवादी रामकरण का किसी भी प्रकार का मानसिक संतुलन खराब नहीं है, न ही प्रतिवादी रामकरण का कोई इलाज हुआ है। वह स्वस्थ एवं प्रसन्न अवस्था में एवं सोच समझकर दिनांक 12.06.2013 को दान पत्र का निष्पादन किया गया है। शेष कथन विशेष आपत्ति में दर्ज किए जाएगें। वाद पत्र की चरण नंबर 5 बिल्कुल मिथ्या व मनगढन्त अंकित किए जाने में अस्वीकार है। वादिया सम्माननीय न्यायालय से दान पत्र के बाबत किसी भ्झी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी नहीं है वादिया का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। वाद पत्र की चरण नंबर 6 अस्वीकार है। दान पत्र दिनांक 12.06.2013 के आधार पर ग्राम मूण्डला बिसोती एवं ग्राम रामनिवास की आराजी में प्रतिवादीगण का इंतकाल उक्त वाद प्रस्तुति के पूर्व ही खुल चुका है। वाद पत्र की चरण नंबर 7 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण नम्बर 8 कानूनी है तथा अस्वीकार है। नोटिस की अवधि समाप्ति के पूर्व ही उक्त वाद बिना आवश्यक प्रकृति के कारण के ही प्रस्तुत किया है। जो कानूनन खारिज किए जाने योग्य हैं वाद पत्र की चरण नंबर 9 कानूनी है तथा उक्त वाद बिना किसी वाद कारण के प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में वाद कारण अंकित नहीं किए जाने से वाद कानूनन खारिज किए जाने योग्य हैं वाद पत्र की चरण नंबर 10 कानूनी है तथा अस्वीकार है। सम्माननीय न्यायालय को उक्त वाद में चाहा गया अनुतोष का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र की चरण नं 11 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण नंबर 12 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र के अंत में चाही गई डिक्री वादिया की उपमद अ, ब, स, द, य अस्वीकार है और वादिया का वाद कानूनन खारिज किए जाने योग्य है।

—:विशेष आपत्तियां:—

प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण के तनहा खातेदारी एवं कब्जे काश्त में ग्राम मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के खाता संख्या 151 की भूमि ख0नं0 61/834 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 65 रकबा 1.68 है0, ख0नं0 701 रकबा 0.21 है0 कुल किता तीन रकबा 2.04 है0 तथा ग्राम रामनिवास तहसील अटरू के खाता संख्या 111 की भूमि ख0नं0 27 रकबा 3.11 है0, खसरा नंबर 37 रकबा 0.29 है0

कुल किता दो रकबा 3.40 है0 आराजी दर्ज चली आ रही थी। प्रतिवादी रामकरण द्वारा पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त मुद्रा में स्वेच्छापूर्वक रूबरू गवाहान दिनांक 12.06.2013 को प्रतिवादी क्रम 3 कुलदीप के हक में हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 7 व 8 के हक में हिस्सा 1/2 का दान पत्र सबरजिस्ट्रार महोदय अटरू के समक्ष स्वेच्छापूर्वक निष्पादित करवाया था। जिसकी जानकारी प्रारंभ से ही वादिया को थी। प्रतिवादी रामकरण अपने तीनों पोत्रों से बराबर प्रेम व स्नेह करते है तथा तीनों बारां में रहकर पढाई कर रहे है और प्रतिवादी रामकरण ने अपने तीनों पोत्रो का उनके प्रेम व स्नेहवश स्वेच्छापूर्वक दिनांक 12.06.2013 को अपने तनहा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी का दान किया है जिसे दानग्रहिता द्वारा स्वीकार किया गया। वादिया रूकमणी प्रतिवादी रामकरण की पुत्री है। जिसका विवाह आज से लगभग 24–25 साल पूर्व हो चुका है। जो अपने पति व ससुराल वालों के साथ टंकीपाडा अन्ता में निवास कर रही है और उसके एक पुत्र 20 वर्ष व एक पुत्री 22 वर्ष की जीवित है। वादिया को उक्त आराजी के प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में होने का प्रारंभ से ही पूर्ण ज्ञान है। उसके द्वारा उक्त आराजी पर खोले गए इंतकाल का भी पूर्ण ज्ञान है। दिनांक 12.06.2013 को निष्पादित दान पत्र के आधार पर ग्राम मूण्डला बिसोती तहसील अटरू की आराजी में इंतकाल संख्या 490 दिनांक 22.06.2013 तथा ग्राम रामनिवास तहसील अटरू की आराजी में इंतकाल संख्या 400 दिनांक 22.06.2013 को खोला जाकर उसका अमल दरामद जमाबंदी में कर दिया गया और वर्तमान में उक्त आराजी प्रतिवादी दानग्रहिता के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादिया द्वारा सम्माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 12.06.2013 को निष्पादित दान पत्र के बाबत प्रभावशून्य घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। दान पत्र को निरस्त एंव प्रभावशून्य घोषित करने के लिए एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादिया को दान पत्र को निरस्त घोषित कराने का वाद सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सम्माननीय न्यायालय को दस्तावेज दिनांक 12.06.2013 दान पत्र को प्रभावशून्य एवं निरस्त घोषित करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। वादिया द्वारा उक्त वाद घोधणा, इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया है। जिसके लिए राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का अवधि दो माह का नोटिस प्रेषित किया जाकर उसकी अवधि समाप्ति के पश्चात की वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन वादिया ने बिना आवश्यक प्रकृति के बताए ही उक्त नोटिस अवधि समाप्ति के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है। वादिया द्वारा उक्त वाद पत्र के अलावा सम्माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलकटर बारां में अपील संख्या64/2013 बउनवानी रूकमणी बनाम कुलदीप वगै0 बाबत

इंतकाल संख्या 400 दिनांक 22.06.2013 प्रस्तुत की गई थी। जो दिनांक 09.04.2014 को खारिज कर दी गई और एक अपील अन्य 65/2013 बउनवानी रूकमणी बनाम कुलदीप वगै0 बाबत इंतकाल संख्या 490 दिनांक 22.06.2013 प्रस्तुत की गई थी। जो भी दिनांक 09.04.2014 को खारिज कर दी गई। इन तथ्यों को छिपाते हुए वादिया ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है। वादिया का विवादग्रस्त आराजी के किसी भी खसरा नंबर या हिस्से पर आज दिन तक कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादिया ने मिथ्या रूप से 1/4 हिस्से का कब्जा बताया है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादिया का वाद कानून के विपरीत होने निरस्त फरमाए जाने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रम 9 व 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः—

तनकी नं0 1:— आया कि वादिया वाके ग्राम एवं माल मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के खाता संख्या 151 का कुल किता 3 का रकबा 2.04 है0 एवं ग्राम रामनिवास तहसील अटरू के खाता संख्या 111 का कुल किता 2 का रकबा 3.40 है0 में हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक पैतृक सम्पत्ति होने से घोषित होने की अधिकारी है।

वादीया

तनकी नं0 2:— आया कि वादिया दान पत्र दिनांक 12.06.2013 को वादिया के हितों की विपरीत होने से प्रभाव शून्य घोषित करवाकर वाद पत्र में वर्णित मद नं0 1 की आराजी में वादिया अपना हिस्सा 1/4 पृथक से खाते दर्ज करवाने की हकदार है।

वादीया

तनकी नं0 3:— आया कि दौराने वाद प्रतिवादीगण दान पत्र 12.06.2013 का इंतकाल खुलवा ले तो इसे खारिज फरमाया जावे।

वादीया

तनकी नं0 4:— आया कि प्रतिवादीगण को वादिया जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वादिया को उसके हिस्से 1/4 की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

वादीया

तनकी नं0 5:— वाद व्यय 20 हजार रूपये वादिया प्रतिवादीगण से प्राप्त करने की अधिकारी है।

वादीया

तनकी नं0 6:– आया कि प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का दानपत्र पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्नचित मुद्रा में स्वेच्छा पूर्वक रूबरू गवाहन दिनांक 12.06.2013 को प्रतिवादी क्रम 3 कुलदीप के हक में हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 7 व 8 के हक में हिस्सा 1/2 का दान पत्र सब रजिस्ट्रार महोदय अटरू के समक्ष निष्पादित करवाया था जिसे दान ग्रहिता द्वारा स्वीकार किया गया है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 7:– आया कि वादिया रूकमणी बाई प्रतिवादी क्रम 1 राम करण की पुत्री है जो विवाह होने के बाद 24–25 वर्ष से अपने पति व ससूराल वालों के साथ अंता में निवास कर रही है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 8:– आया कि दिनांक 12.06.2013 को निष्पादित दानपत्र के आधार पर ग्राम मूण्डला बिसोती की आराजी में इंतकाल संख्या 490 दिनांक 22.06.2013 तथा ग्राम रामनिवास तहसील अटरू की आराजी में इंतकाल संख्या 400 दिनांक 22.06.2013 को खोला जाकर उसका अमल दरामद राजस्व जमाबन्दी में कर दिया गया है। और वर्तमान में उकत आराजी प्रतिवादी दान ग्रहिता के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज रिकार्ड है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 9:– आया कि दान पत्र को निरस्त एवं प्रभावशून्य घोषित करने के लिए एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है सम्मानीय न्यायालय से वादिया दानपत्र को निरस्त करवाने की अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 10:– आया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद क्षेत्राधिकार में नही होने से एवं वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 11:– वादिया द्वारा राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी. का अवधि 2 माह का नोटिस प्रेषित किया जाकर उसकी अवधि समाप्ति के पश्चात ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। कानूनन नोटिस की अवधि समाप्ति के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 12:– आया कि वादिया द्वारा पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां में अपील संख्या 64/13 तथा 65/13 खारिज हाने का वाद पर क्या प्रभाव है।

प्रतिवादीगण

तनकी नं0 13:– दादरसी

4. साक्ष्यवादी के तहत पी0डब्ल्यू 1 का शपथ पत्र पेश किया गया शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी रूकमणी बाई पुत्री रामकरण पत्नि केदारलाल मालव जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसोती हाल टंकीपाडा अन्ता जिला बारां ने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि ग्राम एवं माल मूण्ड़ला बिसौति तहसील अटरू में मेरे पिता प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण के खाता संख्या 151 का ख0न0 61/834 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 55 का रकबा 1.68 है0, ख0न0 701 का रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.04 है0 तथा ग्राम रामनिवास की खाता संख्या 111 का ख0न0 27 का रकबा 3.11 है0, ख0नं0 37 का रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 का रकबा 3.40 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही जो पैतृक सम्पति होने से आराजीयात में वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगा 8 का जन्म से ही अधिकार एवं हक प्राप्त था जिसे प्राप्त करने की वादिया अधिकारी है एवं नोलिशी है। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई।

साक्ष्यवादी के तहत पी0डब्ल्यू 2 केदारलाल पुत्र रामप्रताप मालव जाति धाकड निवासी टंकी पाडा अन्ता तहसील अन्ता का शपथ पत्र पेश किया गया शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि ग्राम एवं माल मूण्ड़ला बिसौति तहसील अटरू में मेरी पत्नि के पिता प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण के खाता संख्या 151 का ख0न0 61/834 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 55 का रकबा 1.68 है0, ख0न0 701 का रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.04 है0 तथा ग्राम रामनिवास की खाता संख्या 111 का ख0न0 27 का रकबा 3.11 है0, ख0नं0 37 का रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 का रकबा 3.40 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही जो पैतृक सम्पति होने से आराजीयात में मेरी पत्नि एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगा 8 का जन्म से ही अधिकार एवं हक प्राप्त होने से मेरी पत्नि रूकमणी उक्त विवादित आराजी में अपना हिस्सा 1/4 अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है एवं नोलिशी है। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई।

5. अभिभाषक वादीया एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 की बहस सुनी। पेश पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। पेश दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है–

<u>तनकी नं0 1:–</u> आया कि वादिया वाके ग्राम एवं माल मूण्डला बिसोती तहसील अटरू के खाता संख्या 151 का कुल किता 3 का रकबा 2.04 है0 एवं ग्राम रामनिवास तहसील अटरू के खाता संख्या 111 का कुल किता 2 का रकबा 3.40 है0 में हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक पैतृक सम्पत्ति होने से घोषित होने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। अभिभाषक वादिया द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम रामनिवास के हाल खाता संख्या 8 किता 2 का रकबा 3.40 है0 तथा ग्राम मूण्डलाबिसौती का हाल खाता संख्या 23 किता 3 का रकबा 2.04 है0 वादिया की पैत्रिक संपत्ति है। उक्त विवादित आराजी मूलतः प्रतिवादी क्रम 1/ खातेदार रामकरण पुत्र अमरा धाकड के खाते दर्ज चली आ रही थी। उक्त विवादित आराजी की पैतृक संपत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिया का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है। खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 वादिया के पिता है । खातेदार रामकरण के 2 पुत्र–धनराज व मृतक रमेश तथा एक पुत्री स्वयं वादिया है। अतः उक्त विवादित पैतृक संपत्ति में वादिया का जन्म से 1/4 हिस्से पर अधिकार बनता है। लेकिन खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त संपूर्ण पैतृक संपत्ति को स्वअर्जित संपत्ति बताकर अपने पौत्र –कुलदीप पुत्र रमेश प्रतिवादी क्रम 3, दीपक पुत्र धनराज प्रतिवादी क्रम 8 व पंकज पुत्र धनराज प्रतिवादी क्रम 7–को दिनांक 12.06.2013 को दान कर दिया गया । खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 को विवादित पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से 1/4 से अधिक का दान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से गलत तथ्य पेश कर सम्पूर्ण पैतृक संपत्ति का दान कर दिया । अतः ऐसे दान पत्र प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध होने से धारा 207 आर0टी0एक्ट0 के अधीन माननीय न्यायालय से प्रभाव शून्य घोषित किये जाने योग्य है। खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 के खाते ग्राम डाबडिया में भी पैतृक संपत्ति थी जिसमें उसकी मृत्यु के बाद वादिया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार हक व अधिकार प्राप्त हुआ है। ग्राम डाबडिया के हाल खाता संख्या 28 रकबा 0.36 है0 में तथा खाता संख्या 26 रकबा 4.69 है0 में वादिया को 1/6 हिस्से पर नाम दर्ज किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम रामनिवास व ग्राम मूण्डला बिसौती की उक्त विवादित पैतृक संपत्ति में 1/4 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादीगण के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण को अपनी पैरवी हेतु न्यायहित में जर्ये नोटिस तलब किया गया लेकिन बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य मे पेश पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या विवादित आराजी वादिया की पैतृक संपत्ति है या नही ? इस संबंध में वादिया द्वारा पेश ग्राम मूण्डला बिसौती जमाबंदी संवत 2012–15 प्रदर्श पी 6 व जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श पी 7 का अवलोकन किया गया । उक्त जमाबंदीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 59 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा व ख0नं0 424 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा तथा ख0नं0 55 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा व ख0नं 410 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा रामकरण पुत्र अमरा धाकड के खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम रामनिवासी की जमाबंदी संवत 2015–18 प्रदर्श पी 8 एवं संवत 2019–22 प्रदर्श पी 9 के अनुसार ख0नं0 43 रकबा 2 बीघा व ख0नं0 45 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण के खाते दर्ज है। ग्राम मूण्डला बिसौती की जमाबंदी संवत 2000–03 प्रदर्श पी 12 व 13 के अनुसार ख0नं0 59 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा व 424 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा मन्ना बेटा माधो व अमरा बेटा औंकार जाति धाकड के बांट बराबर खाते दर्ज था।

अतः वादिया द्वारा पेश ग्राम मूण्डला बिसौती की जमाबंदी 2000–03 पी 12, संवत 2012–15 प्रदर्श पी 6 व संवत 2021–24 प्रदर्श पी 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तात्कालिन /पुराना ख0नं0 59 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा व ख0नं0 424 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा मूलतः मन्ना बेटा माधो व अमरा बेटा औंकार जाति धाकड के खाते दर्ज थी जो विरासत में बाद में रामकरण पुत्र अमरा के खाते दर्ज हुई। इस दौरान तहसील अटरू में भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2012 से 2032 तक प्रथम भू सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन का कार्य किया गया। इस सेटलमेन्ट के दौरान ग्राम मूण्डला बिसौती के उक्त खसरा नंबरों के नये खसरा नम्बरान क्या बनाये गये–मिलान क्षेत्रफल के अभाव में स्पष्ट नहीं है। इसके बाद सन् 1989 से 2009 के दौरान पुनः तहसील अटरू में भू प्रबंध विभाग द्वारा द्वितीय सेटलमेन्ट का कार्य किया गया। द्वितीय सेटलमेन्ट का मिलान क्षैत्रफल भी वादिया द्वारा पेश नहीं किया गया है। ग्राम मूण्डला बिसौती के विवादित हाल ख0नं0 65, 61/834 व 701 कुल किता 3 कुल रकबा 2.04 है0 द्वितीय सेटलमेन्ट के

दौरान किस साबिक ख0नं0 से बने है – मिलान क्षेत्रफल के अभाव में स्पष्ट नहीं है। वादिया द्वारा सेटलमेन्ट विभाग के मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं करने के कारण यह साबित नहीं होता है कि जमाबंदी संवत 2000–03 के पुराने ख0नं0 59 व 424 से ही हाल ख0नं0 65, 61/834 व 701 बने है। इसी प्रकार ग्राम रामनिवास के हाल ख0नं0 27 व 37 द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख0नं0 43 व 47 से ही बनाये गये है या नहीं – भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अभाव में स्पष्ट नहीं है। पुरानी जमाबंदियों/साक्ष्य के अभाव में यह भी स्पष्ट नहीं है कि पुराना ख0नं0 43 रकबा 2 बीघा व ख0नं0 47 रकबा 19 बीघा 45 बिस्वा खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुए है या स्वयं के द्वारा क्रय किये गये थे। ***सर मूल्लाज हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार कोई संपत्ति किसी हिन्दू की पैतृक संपत्ति होगी यदि वह चार पुरूष पीढियों से अविभाजित रूप में विरासत में प्राप्त हुई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पैतृक संपत्ति के संबंध में उक्त सिद्धान्त को मान्यता दी है।***

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह साबित नहीं होता है कि ग्राम रामनिवास का हाल खाता संख्या 8 कुल किता 2 कुल रकबा 3.40 है0 एवं ग्राम मूण्डला बिसौती का हाल खाता संख्या 23 कुल किता 3 कुल रकबा 2.04 है0 आराजी वादिया की पैतृक संपत्ति है और जब विवादित आराजी वादिया की पैतृक संपत्ति साबित नहीं है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन वादिया का जन्म से हक व अधिकार भी साबित नहीं है। **अतः तनकी नं 1 पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।**

<u>तनकी नं0 2:–</u> आया कि वादिया दान पत्र दिनांक 12.06.2013 को वादिया के हितों की विपरीत होने से प्रभाव शून्य घोषित करवाकर वाद पत्र में वर्णित मद नं0 1 की आराजी में वादिया अपना हिस्सा 1/4 पृथक से खाते दर्ज करवाने की हकदार है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। अभिभाषक वादिया द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम मूण्डला बिसौती व रामनिवास की विवादित आराजी वादिया की पैतृक संपत्ति होने से खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 अपने हिस्से 1/4 से अधिक का दान या बेचान नहीं कर सकता है। खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा विवादित आराजी को अपनी स्वअर्जित संपत्ति दिखाकर सम्पूर्ण आराजी का अपने पौते प्रतिवादी क्रम 3, 7 व 8 के पक्ष में किया गया दानपत्र दिनांक 12.06.2013 प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से प्रभाव शून्य घोषित किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादिया द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादिया का मुख्य अनुतोष विवादित आराजी में 1/4 भाग पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना है जबकि गौण अनुतोष प्रारम्भ से ही शून्य दानपत्र दिनांक 12.06.2013 को खारिज कराना है। जब

कोई अनुबंध प्रारम्भ से ही शून्य (ab-intio-void) होने से धारा 207 आर0टी0एक्ट0 के अधीन राजस्व न्यायलय द्वारा खारिज किया जा सकता है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रारम्भ से ही शून्य दानपत्र दिनांक 12.06.2013 को प्रभावशून्य घोषित किया जावे। अभिभाषक वादिया द्वारा अपने पक्ष में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये–

- नारो बनाम भैरूसिंह 1978 आरआरडी 661
- चन्दूराम बनाम चाना जी 1982 आरआरडी. 1999
- रामप्रताप बनाम प्रेमप्रकाश 1990 आरआरडी 41
- औकार राम बनाम कन्हैयालाल 1992 आरआरडी. 354
- बीरसिंह बनाम अंग्रेज सिंह व अन्य 1993 आरआरडी. 433
- लालचन्द बनाम प्रतिनिधी ऑफ पूरिया 1995 आरआरडी 368
- मूल्या बनाम श्रीमती धापो व अन्य 1995 आरआरडी 478
- श्रीमती रामपति बनाम परसाराम व अन्य 1995 आरआरडी 553
- राधेश्याम बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य 1993 आरआरडी 204
- मूलिया बनाम कृष्णा व अन्य 1996 आरआरडी 161

अभिभाषक वादिया के तनकी नं0 2 पर बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन और पेश न्यायिक दृष्टांतों का मनन किया गया। तनकी नं0 1 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि ग्राम मूण्डलाबिसौती व रामनिवास की विवादित आराजी वादिया की पैतृक संपत्ति साबित नहीं हुई है। अर्थात साक्ष्य के अभाव में यह साबित नहीं हुआ है कि यह आराजी खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण को उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुई है । अतः विवादित आराजी को खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 की स्वअर्जित संपत्ति माना जायेगा और कोई भी हिन्दू व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति के दान, बैचान आदि के लिए कानून सक्षम है। खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने दानपत्र दिनांक 12.06.2013 प्रदर्श पी 11 में विवादित आराजी को स्वअर्जित संपत्ति दिखाकर दान करना विधि विरूद्ध नहीं है और यदि कोई पंजिकृत दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य (ab-intio-void) नहीं है तो ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को धारा 207 आर0टी0एक्ट0 के अधीन खारिज किये जाने का क्षेत्राधिकार

राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसे रजि0 दस्तावेज/दानपत्र को प्रभाव शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है।

अतः तनकी नं0 2 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:– आया कि दौराने वाद प्रतिवादीगण दान पत्र 12.06.2013 का इंतकाल खुलवा ले तो इसे खारिज फरमाया जावे। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। जब तनकी नं0 1 व 2 के निष्कर्ष अनुसार खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किया गया पंजीकृत दानपत्र दिनांक 12.06.2013 विधि विरूद्ध साबित नहीं है तो उक्त दानपत्र के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा खुलावाये गये इंतकाल को खारिज नहीं किया जा सकता है।

अतः तनकी नं0 1 व 2 में किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 3 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– आया कि प्रतिवादीगण को वादिया जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वादिया को उसके हिस्से 1/4 की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। **इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। तनकी नं0 1, 2, व 3 के निष्कर्ष के अनुसार तनकी नं0 4 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।**

तनकी नं0 5:– वाद व्यय 20 हजार रूपये वादिया प्रतिवादीगण से प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था। **तनकी नं0 1 ता 4 के निष्कर्ष के अनुसार तनकी नं0 5 वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।**

तनकी नं0 6:– आया कि प्रतिवादी क्रम 1 रामकरण द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का दानपत्र पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्नचित मुद्रा में स्वेच्छा पूर्वक रूबरू गवाहन दिनांक 12.06.2013 को प्रतिवादी क्रम 3 कुलदीप के हक में हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी क्रम 7 व 8 के हक में हिस्सा 1/2 का दान पत्र सब रजिस्ट्रार महोदय अटरू के समक्ष निष्पादित करवाया था जिसे दान ग्रहिता द्वारा स्वीकार किया गया है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

साक्ष्यवादी के जिरह के बाद, प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः साक्ष्य व गवाहों के अभाव में तनकी नं0 6 खारिज की जाती है।

तनकी नं0 7:— आया कि वादिया रूकमणी बाई प्रतिवादी क्रम 1 राम करण की पुत्री है जो विवाह होने के बाद 24—25 वर्ष से अपने पति व ससूराल वालों के साथ अंता में निवास कर रही है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। साक्ष्यवादी के जिरह के बाद, प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः साक्ष्य व गवाहों के अभाव में तनकी नं0 7 खारिज की जाती है।

तनकी नं0 8:— आया कि दिनांक 12.06.2013 को निष्पादित दानपत्र के आधार पर ग्राम मूण्डला बिसोती की आराजी में इंतकाल संख्या 490 दिनांक 22.06.2013 तथा ग्राम रामनिवास तहसील अटरू की आराजी में इंतकाल संख्या 400 दिनांक 22.06.2013 को खोला जाकर उसका अमल दरामद राजस्व जमाबन्दी में कर दिया गया है और वर्तमान में उकत आराजी प्रतिवादी दान ग्रहिता के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज रिकार्ड है। साक्ष्यवादी के जिरह के बाद, प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ग्राम रामनिवास व ग्राम मूण्डलाबिसौती के पेश किये गये वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार दान की गई आराजी का इंतकाल तस्दीक होकर दान ग्रहिता —प्रतिवादी क्रम 3, 7 व 8 के खाते दर्ज हो चुकी है। विवादित आराजी पर वर्तमान में दानग्रहिता का कब्जा काश्त है या नहीं —यह साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है। अतः साक्ष्य व गवाहों के अभाव में तनकी नं0 8 आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 9:— आया कि दान पत्र को निरस्त एवं प्रभावशून्य घोषित करने के लिए एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है सम्मानीय न्यायालय से वादिया दानपत्र को निरस्त करवाने की अधिकारी नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। यद्यपि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य व गवाह पेश नहीं किया गया है तथापि तनकी नं0 2 में किये गये विवेचन

विश्लेषण के आधार पर तनकी नं0 2 के वादिया के विरूद्ध साबित होने से **तनकी नं0 9 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होती है।**

तनकी नं0 10:— आया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद क्षेत्राधिकार में नही होने से एवं वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादिया द्वारा मुख्य रूप से विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का व आनुशांगिक रूप से प्रारम्भ से शून्य दान पत्र को प्रभाव शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया था जिसे प्रदान करने में राजस्व न्यायालय सक्षम है। केवल पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादिया द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान नहीं किये जा सकते है। **अतः तनकी नं0 10 स्वतः ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित होती है।**

तनकी नं0 11:— वादिया द्वारा राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी. का अवधि 2 माह का नोटिस प्रेषित किया जाकर उसकी अवधि समाप्ति के पश्चात ही वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। कानूनन नोटिस की अवधि समाप्ति के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। साक्ष्यवादी के जिरह के बाद, प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः साक्ष्य व गवाहों के अभाव में तनकी नं0 11 खारिज की जाती है।

तनकी नं0 12:— आया कि वादिया द्वारा पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां में अपील संख्या 64/13 तथा 65/13 खारिज हाने का वाद पर क्या प्रभाव है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। साक्ष्यवादी के जिरह के बाद, प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः साक्ष्य व गवाहों के अभाव में तनकी नं0 12 खारिज की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में ग्राम मूण्डला बिसौती व रामनिवास की विवादित आराजी के संबंध में वादिया का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विवादित आराजी ग्राम मूण्डला बिसौती के खाता संख्या 151 का किता 3 का रकबा 2.04 है0 एवं ग्राम राम निवास के खाता संख्या 111 का कुल 2 किता का रकबा 3.40 है0 के संबंध में पेश वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 183, 188, 207 आर0टी0एक्ट0 **खारिज** किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक / / को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 84/2013 **दायर दिनांकः 28.06.2013**

उनवान

1. रूकमणी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री रामकरण पत्नी केदार लाल मालव जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसौती हाल निवासी टंकी पाडा अन्ता, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)

वादिया

बनाम

1. रामकरण आयु 70 वर्ष पुत्र अमरा जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसोती तहसील अटरू।
2. गिरजा बाई आयु 24 वर्ष पुत्री रमेश चन्द पत्नी रघुवीर मालव जाति धाकड़ हाल निवासी रातडिया पो0 बालाखेडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0।
3. कुलदीप आयु 30 वर्ष पुत्र रमेश चन्द मालव
4. ज्योति आयु 19 वर्ष पुत्री रमेशचन्द मालव जाति धाकड निवासीगण मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. कांती बाई आयु 47 वर्ष बेवा रमेशचन्द मालव जाति धाकड निवासीगण मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. धनराज आयु 42 वर्ष पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासीगण मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. पंकज आयु 18 वर्ष पुत्र धनराज जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसोती
8. दीपक आयु 14 वर्ष पुत्र धनराज जर्ये वली पिता धनराज जाति धाकड निवासी मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां राज0।
9. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तहसील अटरू
10. तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 183, 188, 207 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री नीरज माहेश्वारी।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मूण्डला बिसौती के खाता संख्या 151 का किता 3 का रकबा 2.04 है0 एवं ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 111 का कुल 2 किता का रकबा 3.40 है0 के संबंध में पेश वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 183, 188, 207 आर0टी0एक्ट0 **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक / / को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)